

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

श्रीमती वसुधा - गानपुर जमाबन्दी सं. 2071-2074 के
के आर्डर का नाम भूला पुत्र कल्लू बैरवा फर्ज है। उक्त नाम का
के विरासत के नाम सं 92 से भूला पुत्र कल्लू बैरवा फर्ज हुए
आर्डर का मूल दस्तावेजों से कनुसा आर्डर का भूला पुत्र
का है कता श्रीमती आर्डर का नाम भूला पुत्र कल्लू बैरवा
का पुत्र कल्लू बैरवा कता उचित होगा

रिपोर्ट - श्रीमती की सेवा के लाइट पेश है।
2/6/17
रिपोर्ट

राजस्व लोक अदालत - 2017

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी / IPR व कल्लू दलियों के आर्डर
जमाबन्दी में श्रीमती के नाम पर पत्रों के जारी कर भूला के
का पुत्र कल्लू बैरवा उचित है।

तहसीलदार (भू.अ.नि.)
तहसील सपोटरा (करौली)

आदेश

रिपोर्ट पटवारी, IPR, तहसीलदार सपोटरा एवं पुस्तक
अन्वेषण के आधार पर निर्णय का अभी स्वीकार किया जाता है
श्रीमती वसुधा के नाम पर पत्रों के जारी कर भूला के
का पुत्र कल्लू बैरवा उचित है।

पीठासीन अधिकारी (SDM)
राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"
सपोटरा, जिला-करौली (राज०)
उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सपोटरा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प नानपुर

:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी नानपुर व भू.अ.नि. करणपुर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सपोटरा/नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम नानपुर तहसील सपोटरा व जिला करणपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2571-74 में खाता संख्या 44 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क0स0	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
04	नानपुर	44	भूमा पूत्र कल्लू जाहि रेशा	बाबू पूत्र कल्लू जाहि रेशा

(पीठासीन अधिकारी (SDM)
राजस्व लोक अदालत आपके द्वारे
सपोटरा, जिला करणपुर (राज0)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर,

दिनांक:- 26/11

कमांक:- सपोटरा 2011/85-51
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सपोटरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री बाबू पूत्र कल्लू रेशा नानपुर को सूचनार्थ
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी (SDM)
राजस्व लोक अदालत आपके द्वारे
सपोटरा, जिला करणपुर (राज0)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर,